अपील नम्बर :– 02/2016

लक्ष्मणसिंह पुत्र फौजासिंह जाति रायसिख निवासी फूटाकी खोहरी तह0 नगर

–– अपीलार्थी

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत तेस्की तह0 नगर (भरतपुर)

–– रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

श्री अशोक कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

श्री श्यामबाबू सेठी, अधिवक्ता

निर्णय   दिनांक 18/06/2018

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामा0 संख्या 1239 ग्राम तेस्की में सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] के द्वारा दिनाकं 05.10.2015 को पारित निर्णय से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की [illegible] अपीलार्थी लक्ष्मणसिंह को उत्तमसिंह के मुखत्यार आम सुरजनसिंह पुत्र रांझासिंह निवासी [illegible] ने आराजी ख0नं0 149/0.82 बाके ग्राम तेस्की तह0 नगर जिला भरतपुर के 4/6 हिस्सा [illegible] की हकूक काश्तकारी को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण 60,000/– रूपये प्रति [illegible] के हिसाब से बेचने का सौदा 2,02,500/– रूपये में दिनांक 26.04.2000 को किया था तथा [illegible] 2,00,000/– रूपये नकद प्राप्त किये जिसकी बावत् इकरारनामा 100/– रूपये के [illegible] पर टाइप कराकर लक्ष्मणसिंह को सुरजनसिंह ने गवाहों के हस्ताक्षर कराये और इकरारनामा [illegible] केता लक्ष्मणसिंह के हवाले किया व 2500/– रूपये शेष रहे जो उक्त आराजी की खातेदारी [illegible] वक्त वयनामा देना तय हुआ तथा यह भी तय हुआ कि प्रतिवादी उत्तमसिंह ने खातेदारी [illegible] तो केता को सक्षम न्यायालय से वयनामा कराने का अधिकार होगा और अपीलान्ट की [illegible] पर कब्जा भी जुलाई 2000 में अपीलान्ट को सौंप दिया गया साथ ही कहा है कि [illegible] न कराने के कारण अपीलान्ट केता लक्ष्मणसिंह ने उत्तमसिंह व मुखत्यार आम सुरजनसिंह के विरूद्ध वाद न्यायालय ए0डी0जे0 साहब संख्या 2 डीग के न्यायालय में दायर किया जिसमें [illegible] संख्या 2 डीग ने उनवानी मुकद्मा लक्ष्मणसिंह बनाम उत्तमसिंह नम्बरीदीवादी वाद [illegible]/2007 दिनांक 14/12/2011 को एक तरफा डिकी किया । डिकीदार द्वारा प्रस्तुत [illegible] नम्बर 01/2013 में दिनांक 17/09/2013 को पारित आदेश की पालना में मदयून

द्वारा विक्रय पत्र पंजीकृत कराने हेतु उपस्थित न होने तथा मदयून उत्तमसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान मोहनसिंह पुत्र उत्तमसिंह सिख निवासी गुलालकुन्ड मथुरा गेट के भरतपुर (ड्राईवर राज0 रोडवेज), साजनसिंह पुत्र उत्तमसिंह सिख निवासी आर0जेड 256, गार्डन, ख्याला, गली नम्बर 9 बस स्टैण्ड 830 दिल्ली, जानकीबाई उर्फ संतोष कौर पुत्री सिख पत्नि महेन्द्रसिंह उर्फ जोता केयर ऑफ, बस स्टैण्ड 830, ख्याला मस्जिद के कम्यूनिकेशन दिल्ली को तलब किया गया । उनके उपस्थित नही होने पर अपर जिला संख्या 2 डीग जिला भरतपुर ने अपीलार्थी लक्ष्मणसिंह पुत्र फौजासिंह निवासी फूटाकी खोहरी के विक्रय पत्र पंजीबद्ध न्यायालय द्वारा कराने का आदेश दिनांक 07/04/2014 को पारित आदेश दिनांक 07/04/2017 की अनुपालना में न्यायालय अपर जिला जज संख्या 2 जिला भरतपुर के माध्यम से दिनांक 12/05/20015 को सहायक नाजिर अपर जिला एवं न्यायाधीश संख्या 1 ने अपीलार्थी लक्ष्मणसिंह के हक में आराजी खसरा नम्बर 149/0.82 ग्राम तेस्की तह0 नगर के 4/6 हिस्से का विक्रय विलेख उप पंजीयक सीकरी तह0 नगर भरतपुर के यहां तस्दीक कराया जिसमें यह भी अंकित किया है कि मौके का कब्जा भी पूर्व अपीलार्थी ने विक्रेता से प्राप्त किया था । साथ ही कहा है कि विवादित आराजी ख0नं0 149/0.82 वाके ग्राम तेस्की तह0 नगर के 4/6 भाग पर वक्त खरीद से ही अपीलार्थी बतौर काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी विवादित आराजी 149/0.82 के 4/6 हिस्सा पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 ग्राम तेस्की तह0 नगर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने दूषित मन्तव्यों की पूर्ति राजनीतिक द्वेषता से व अपीलार्थी को परेशान करने की नीयत से विवादित आराजी पर कब्जा न लिख कर दाखिल खारिज संख्या 1239 नामन्जूर कर दिया है जो कि कानूनन गलत है । रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया गया कि अपीलार्थी ने विवादित आराजी का 4/6 दिनांक 26/04/2000 को खरीद किया है तथा खरीद के बाद जुलाई 2000 से ही अपीलार्थी अपने 4/6 हिस्से का कब्जा विक्रेता से प्राप्त कर लिया था तथा ए0डी0जे0 साहब संख्या 2 डीग ने उक्त निर्णय विवादित आराजी 149/0.82 के 4/6 भाग यानि 0.54 पर अपीलाण्ट लक्ष्मणसिंह का कब्जा माना व न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में कराये गये बयनामा में भी कब्जा पूर्व से ही होना लिखा है तथा यह भी लिखा है कि विक्रेता के स्थान पर क्रेता को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने का पूर्ण अधिकार होगा । साथ ही निवेदन किया है कि दाखिल खारिज आदेश दिनांक 05/10/2015 पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित

उपखण्ड अधिकारी
नगर [भरतपुर] राज.

अतिक्रमण बावत न तो कोई जांच की गई न ही मौके का कब्जा देखा गया न ही इस बाबत कोई लीगल आदेश दिया गया है सरपंच ग्राम पंचायत तेस्की तह0 नगर ने सभी तथ्यों पर विचार न करते हुए मनमाने व दुर्भावाना पूर्ण तरीके से व राजनैतिक विशेषता से अपने दूषित मन्तव्यों की पूर्ति में विधि विरूद्ध तरीके से दाखिल खारिज रद्द करने का आदेश जारी किया गया है जिसे अपीलार्थी रद्द करवाने का अधिकारी है । साथ ही निवेदन किया है कि अपीलार्थी अनपढ एवं भोला भाला एवं वृद्ध व्यक्ति है जो दाखिल खारित बावत् नही समझता है अब तक अपीलान्ट यही समझता रहा कि विवातिद आराजी के 4/6 भाग पर उसका नाम चढ गया होगा । दिनांक ... 2016 को गांव के कुछ लोगों के बताने पर व उसी पटवारी हल्का से पूछने पर व उसके बताने पर कि अपीलार्थी के 4/6 हिस्से का दाखिल खारिज रद्द कर दिया है व अपीलान्ट द्वारा ... दिनांक 21/01/2016 को उक्त दाखिल खारिज की नकल लेने पर पता चला कि ग्राम पंचायत तेस्की तह0 नगर द्वारा दिनांक 05/10/2015 को आराजी ख0नं0 149/0.82 के 4/6 हिस्से पर अपीलान्ट का दाखिल खारिज निरस्त कर दिया है । अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत तेस्की तह0 नगर जिला भरतपुर का आदेश दिनांक 05/10/2015 संबंधित दाखिल खारिज संख्या 1239 बाके ग्राम तेस्की तह0 नगर को विधि विरूद्ध घोषित किया जावे व रद्द किया जाकर आराजी ख0नं0 149/0.82 बाके ग्राम तेस्की तह0 नगर जिला भरतपुर के 4/6 हिस्सा पर अपीलार्थी के नाम दाखिल खारिज किये जाने के आदेश फरमायें जावें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहसीलदार नगर से मूल नामां0 संख्या 1239 तलब किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया ।

हमने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प तेस्की में मजमे आम में उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा मूल नामांतरकरण संख्या 1239 ग्राम तेस्की की पत्रावली मंगवाकर अवलोकन किया । मूल नामां0 संख्या 1239 के अवलोकन से साबित होता है कि यह नामां0 वयनामा के आधार पर मोहनसिंह, साजनसिंह पिस0 उत्तमसिंह, जानकीबाई उर्फ संतोष कौर पुत्री उत्तमसिंह 4/6 हिस्सा कौम सिख सा0 गुलाल कुण्ड मथुरा गेट भरतपुर खातेदार के स्थान पर लक्ष्मनसिंह पुत्र फौजासिंह 4/6 हिस्सा कौम ... सा0 फूटाकी खोहरी तह0 नगर खातेदार के नाम दर्ज किया है जिसका निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत तेस्की द्वारा दिनांक 05/10/2015 को किया जिससमें अंकित किया है कि "आज दिनांक 05.10.2015 को दा0खा0 पेश हुआ । प्रार्थी का मौके पर कब्जा नही है सर्वसम्मति से अस्वीकार किया जाता है ।" नकल वयनामा दिनांक 19/05/2015 के अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी
नगर [भरतपुर] राज.

[illegible] होता है कि यह वयनामा न्यायालय अपर जिला जज संख्या 2 डीग की डिक्री दिनांक [illegible]/2012 की पालना में वादी के पक्ष में पंजीबद्ध कराया गया है । इस प्रकार वादी वि0आ0 [illegible] केता है किन्तु इस वयनामा के आधार पर दर्ज नामां0 संख्या 1239 का निर्णय करते [illegible] न्यायालय ग्राम पंचायत तेस्की द्वारा बिना जांच किये निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध [illegible] प्रकार अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है । अतः आदेश है कि –

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा नामां0 संख्या 1239 बाके ग्राम तेस्की [illegible] दिनांक 05/10/2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नगर को इस [illegible] के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामां0 संख्या 1239 का राजस्थान भू राजस्व [illegible] 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करें । निर्णय [illegible] के साथ मूल नामां0 संख्या 1239 ग्राम तेस्की तहसीलदार नगर को लौटाया जावे ।

(राजवीरसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी नगर [भरतपुर] राज०

निर्णय आज दिनांक 18/06/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(राजवीरसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी नगर [भरतपुर] राज०